COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

राजस्व मण्डल ग्वलियर लिन्क कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

R · 2250-III/14

1--नन्द कुमार त्रिपाठी तनय रामकिशोर त्रिपाठी उम्र 66 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम बुसौल तह0 मनगवां जिला रीवा म0प्र0

2-- प्राणनाथ त्रिपाठी तनय तनय रामकिशोर त्रिपाठी उम्र 63 वर्ष पेशा पेन्शनर निवासी ग्राम बुसौल तह0 मनगवां जिला रीवा म0प्र0

3-- राशि रमण त्रिपाठी तनय रामकिशोर त्रिपाठी उम्र 57 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम बुसौल तह0 मनगवां जिला रीवा म0प्र0 ---- आवेदक गण

बनाम

नरेन्द्र नाथ तनय हरिशरण उम्र 84 वर्ष पेशा पेन्शनर निवासी ग्राम बुसौल तह0 मनगवां जिला रीवा म0प्र0 ---- अनावेदक

श्री श्रीकांत तिवारी एड द्वारा आज दिनांक 16-6-14 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्व आदेश जिलाध्यक्ष महोदय, रीवा प्रकरण क्0 39/ अ6 /अपील /09-10 आदेश दिनांक 09--06--14 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0से0

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :--

आवेदक गण व्यवहार न्यायाधीश वर्ग--2 रीवा की व्यवहार वाद क्रमांक 205ए /89 के आधार पर आराजी क्0 69 रकवा 0.42 डि0 आराजी क्0 68 रकबा 0.55 डि0 के नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया अनावेदक सूचना के उपरान्त उपस्थित नहीं हुआ और दिनांक 06--08--2002 को नामान्तरण कर दिया गया जिसकी अपील दिनांक 25--01--03 को कई महीने बाद प्रस्तुत कराया जो दिनांक 12--12--05 को अनावेदक के उपस्थित ना होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्व 13-05-10 को 5 वर्ष बाद पुनस्थापना प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 28--05--10 को अनावेदक का पुर्नस्थापना का आवेदन पत्र निरस्त किया गया जिसके विरूद्व अनावेदक ने अपील प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 09--06--14 को अपना अलाव्य आदेश पारित किया जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :--

XXXIX(a)-BR(H)-11

(6)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–2250-III / 14 जिला–रीवा

नन्दकुमार त्रिपाठी / नारेन्द्रनाथ

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सूर्यनाथ पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 39 / अ–6 / अपील / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	